


119

116

5000 Rs.



प्राप्ति का संदर्भ में इसका उपयोग
किया गया। १६.१२.१९८० की तिथि

पुष्टियन्त्र प्रदाता के द्वारा उपयोग की जनकी
का १ क्रमांक २३. I A वित्ती के अनुसार
लिखित स्वाक्षर दिया गया।
लिखित क्रमांक का संख्या
Case No. 666 R. 8 11/2013-14

order dated

28-1-15



प्राप्ति का संदर्भ में इसका उपयोग
किया गया। १६.१२.१९८० की तिथि
क्रमांक २३. I A वित्ती के अनुसार
लिखित स्वाक्षर दिया गया।
लिखित क्रमांक का संख्या
Case No. 666 R. 8 11/2013-14

११४ लेखकारोः- श्री चूमनु कोनगड़ो पिता स्व० सामेल कोनगड़ो
जाति- मुण्डा, पेशा- छेतावारी, निवास ग्राम- सलडेगा कुम्हारटोली
धाना- तस्मेगा, जिला- सिंधेगा।

..... बिक्रेता ।

प्रमाण पत्र संख्या:-

४६/२०१५

1000Rs.



--2--

१२। लेख्यधारिणी:- मो० लाली देवी पति स्व० जनक लोहरा
जाति- लोहरा, पेशा- गृदणी, निवास ग्राम- सलडेगा,
थाना- सिंडेगा, जिला- सिंडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

ग्रन्थ-पत्र संख्या:- ४७/ २०१५

१३। लेख्यपत्रकार:- विक्र्य पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

१४। मूल्य:- मोबालिंग दो लाख तीस हजार रुपये अर्के 2.30,000/-
रुपये होता है ।



१५। सम्माति:- सराजियात अन्दर मौजा- सलडेगा, थाना-
सिंडेगा, थाना नं० ११७. सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला-
सिंडेगा के खाता नं० ३० इतीस० प्लॉट नं० ८८३ इआ० सौ
तिरासी० रक्षा ०.०६ रकड़ १४: डिसमिल० शहरी क्षेत्र के
चार भागों में से विक्र्य वाली जमोन आवासीय क्षेत्र में पड़ता
है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी घौहददी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश,


पूरब :- इलियस कोनगाड़ो का दोन.

पश्चिम:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया १० फौट का कच्चा रास्ता ।
मालगुजारो ५ पैसा ४ पाँच पैसा ४ अलावे सेस सलाना ।

१७.२.१५
सलडेगा
सिंडेगा
ग्रन्थ-पत्रकार
जनक लोहरा



--3--




१।४ चूँकि मुझ लेखकारों को बाड़ी बनाने सबं अन्य दीगर घरेलू छाँद के लिए रूपयों को जल्लरत पड़ो जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सभव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन छारीदाने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने छारीदाना संबं रूपये देना स्वीकार किया ।

१।५ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर छाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणों के हाथ नगद कोमत दूकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

१।६ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे दादा टाकु मुण्डा वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । उत्तराधिकारा दाखिल खारिज वाद संख्या 624 आर 27/09-10 के द्वारा दाखिल खारिज होकर मालगुजारो रसीद मेरे पिता सामेल मुण्डा वगैरह के नाम से कटता है । मेरे दादा एवं पिता की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक म्यादो बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से को जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झँझट नहीं है ।



---4---




४५१ दूँकि हम उभ्य पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं
 अतः जमीन खरोद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रोमान् उप समाहत्ता
 भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी
 अधिनियम को धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद
 संख्या 606 आर 811/2013-14 है जिसको स्वीकृति दिनांक
 28.1.15 को प्राप्त हुई रखें जिसका झापांक 79॥१॥ दिनांक
 28.1.15 है।

४५२ जब चाहिए कि लेख्यधारिणों अपनी जमीन पर काविज वो
 दखलकार होकर अपना जैसा कायदा का समझें अपने उपयोग में लावें
 वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय
 से अपने नाम पर दाखिल छारिज कराकर तारोंख लेख्य से व अदाय
 मालगुजारो के रसीद खास नाम से दासिल किया करें।

४५३ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला क्लामो सदा दिन के
 लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त ज़रूरत पर काम आवे।


उक्त बिक्री की जानेवालों जमीन भू-दबंदी, फैसरे हिन्द, खास महल,
 सैरात, लोज, भू-दान, बंदोवस्ती, और मज़रुआ के तहत नहीं हैं।

1000Rs.



--5--

मैं लेखकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।



प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी के बापे हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समान लिया गया।

संजय कुमार मिश्र
आधिकारी

09.02.2015

मैं लेखदातारी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरोदगा के बाद कुनै धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।



लली देवी
9/2/15

प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी के बापे हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समान लिया गया।

संजय कुमार मिश्र
आधिकारी

09.02.2015



100Rs.



--6--

उभ्य पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का
प्रारूप तैयार किया रख उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना
वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सदी/- संजय कुमार मल्हा
अधिकारी
प्रारूपकर्ता
तारीख:- 09.02.2015

5
10
20
50
100
200
500
1000

100Rs.



- - 7 - -

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्र्य पत्र दस्तावेज के कुल सात पृष्ठों में कुल 652 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रद्दित वो नक्सा सहित हैं।

टंक
मो० मक्षुद
9-2-2015
मो० मक्षुद
कथारो परिसर,
सिमडेगा ।